बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं ओ.आर.एस.

(2012 की सिविल अपील संख्या 2530)

09 जनवरी 2019

[अभय मनोहर सप्रे और आर. सुभाष रेड्डी, जे.जे.]

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम - धारा 2(ई) - स्वत: संज्ञान से सूचीबद्ध मामला -

इस मामले में यानी 2012 की सिविल अपील संख्या 2530 में 7.1.2019 को फैसला सुनाया गया था जैसा कि [2019] 1 एस.सी.आर. में बताया गया है। जिसमें अहमदाबाद प्राइवेट प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य लिमिटेड के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपील की अनुमति दी गई –

अपील की सुनवाई के दौरान इसे सामने नहीं लाया गया कि अहमदाबाद प्रा. प्राथमिक शिक्षक संघ में फैसले के अनुसार "कर्मचारी" जिसे ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 2(ई) में परिभाषित किया गया है में विधायी संशोधन किया गया जो 3.4.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है - प्रथम दृष्टया, दिनांक 7.1.2019 के निर्णय में त्रुटि है - मामले की अंतिम सुनवाई होने तक, निर्णय के लागू होने पर रोक लगा दी गई है - रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले को फिर से सुनवाई के लिए पहले सूचीबद्ध करे

उपयुक्त बेंच.

अहमदाबाद प्रा. प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य। (2004) 1 एससीसी 755 : [2004] 1 एससीआर 470 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2004] 1 एससीआर 470	पैरा 2 को	संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 का सिविल अपील संख्या 2530.

एलपीए संख्या 53 में रांची में दिनांक 02.04.2008 के उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश से.

शम्बो नंदी, अरिजीत मजूमदार, सुश्री एन अन्नपूर्णानी,

अपीलकर्ता के लिए सलाहकार.

अनिल कुमार झा, सुनील राय, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता .

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

07.01.2019 को इस न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया.

आज, हमने इस मामले को स्वत: संज्ञान से सूचीबद्ध किया है। कारण यह है कि अपील की सुनवाई के दौरान इस खंडपीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था की इस न्यायालय का अहमदाबाद प्रा. प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 755 में निर्णय जिस पर अपील को अनुमति देने के लिए निर्भरता रखी गई थी जिससे संसद को अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2(ई) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा संशोधन करना आवश्यक हो गया, 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से.

दूसरे शब्दों में, यद्यपि परिभाषा में वर्ष 2009 में 2009 की अधिनियम संख्या 47 में संशोधन किया गया था

फिर भी यह 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लाया गया जिससे उसे कानून की किताब में शामिल किया जा सके।

धारा 2(ई) की परिभाषा में किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए, जिसे जैसा कि ऊपर कहा गया है, खंडपीठ के नोटिस में नहीं लाया नहीं गया था, इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया हालाँकि इसमें शामिल प्रश्न को तय करने के लिए इसकी प्रासंगिकता थी। यही कारण है कि हम प्रथम दृष्टया निर्णय में त्रुटि पाते हैं और हमारे दिनांक 07.01.2019 के निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने के लिए इक्छुक है जो इस अपील में पारित हुआ था.

दिनांक 07.01.2019 का निर्णय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक मामले की अंतिम सुनवाई उपयुक्त बेंच में नहीं हो जाती.

रजिस्ट्री को इस मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है जिसे उचित पीठ के समक्ष जिसमे माननीय श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे एवं सुश्री न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हो यथाशीघ्र सुना जा सके।

देविका गुजराल पूर्व निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक

मामले की पुनः सुनवाई

<u>यह अनुवाद शालिनी साबू, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>